


श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, राँची।


आम सूचना



झारखण्ड सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 90 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों को पुनरीक्षित कर अधिसूचना संख्या-530, दिनांक-11.03.2024 द्वारा लागू कर दिया गया है, जो इस प्रकार है:-

श्रेणी	श्रेणी के तहत आने वाले क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें (रुपये में)			दैनिक			मासिक		
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व त्रिपिकीय	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व त्रिपिकीय	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व त्रिपिकीय
अनुसूचित नियोजनों की श्रेणी 'क'	A	रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।	468	491	647	746	12168	12766	16822	19396
	B	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत)	446	468	617	712	11596	12168	16042	18512
	C	राज्य के अन्य क्षेत्र (A और B को छोड़कर)	425	446	588	678	11050	11596	15288	17628

अनुसूचित नियोजनों की श्रेणी 'ख'	श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें (रुपये में)			दैनिक			मासिक		
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व त्रिपिकीय	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व त्रिपिकीय	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व त्रिपिकीय
	A	446	468	616	711	11596	12168	16016	18486	
	B	425	446	588	678	11050	11596	15288	17628	
	C	405	425	560	646	10530	11050	14560	16796	



पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें, इस हेतु झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण तथा 90 अनुसूचित नियोजनों का वर्गीकरण की विस्तृत जानकारी हेतु QR Code को Scan किया जा सकता है अथवा Shramadhan Portal पर अधिसूचना देखी जा सकती है।

(राजेश प्रसाद)

निदेशक,

न्यूनतम मजदूरी, झारखण्ड, राँची।